"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014—भाद्र 14, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोद कुमार देवांगन पिता श्री मेहतरू राम देवांगन, उम्र 26 वर्ष, निवासी-शंकर नगर, वार्ड नं. 10, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम छोटूलाल देवांगन दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विनोद कुमार देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे विनोद कुमार देवांगन पिता श्री मेहतरू राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

छोटूलाल देवांगन
पिता-श्री मेहतरू राम देवांगन
निवासी-वार्ड नं. 10, गली नं. 6, पाली भवन के सामने
शंकर नगर, दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

विनोद कुमार देवांगन
पिता-श्री मेहतरू राम देवांगन
निवासी-वार्ड नं. 10, गली नं. 6, पाली भवन के सामने
शंकर नगर, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुमुद तिवारी उर्फ रजनी तिवारी पति श्री उमेश तिवारी, उम्र 54 साल, निवासी-दिगम्बर जैन मंदिर के पास, वैशालीनगर, चौकी राम नगर, थाना सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रजनी तिवारी लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कुमुद तिवारी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कुमुद तिवारी, पति श्री उमेश तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती रजनी तिवारी
पति-श्री उमेश तिवारी
निवासी-दिगम्बर जैन मंदिर के पास, वैशालीनगर भिलाई
जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती कुमुद तिवारी
पति-श्री उमेश तिवारी
निवासी-दिगम्बर जैन मंदिर के पास, वैशालीनगर भिलाई
जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पीलाराम उर्फ प्रदीप राम लोधी आत्मज श्री केशो राम लोधी, उम्र 25 वर्ष, निवासी-ग्राम तुमाखुर्द, पोस्ट बोरी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे कक्षा पांचवी व कक्षा आठवीं के अंक सूची में मेरा नाम पीलाराम आ. केशो राम दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रदीप राम लोधी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रदीप राम लोधी आत्मज श्री केशो राम लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पीलाराम लोधी
आत्मज-श्री केशो राम लोधी
निवासी-ग्राम/पोस्ट तुमाखुर्द, तहसील धमधा
जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

प्रदीप राम लोधी
आत्मज-श्री केशो राम लोधी
निवासी-ग्राम/पोस्ट तुमाखुर्द, तहसील धमधा
जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती एम. व्ही. वंशिका पति श्री एम. वेंकट रमना, निवासी-सेक्टर 4, सड़क नं. 1, क्वा. नं. 4/सी, भिलाई, तहसील व ज़िला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी खुशीला देवी पिता स्व. मोती सिंह था. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम एम. व्ही. वंशिका रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे एम. व्ही. वंशिका पति श्री एम. वेंकट रमना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. खुशीला देवी
पिता-स्व. मोती सिंह
निवासी-क्वा. नं. 3/बी, सड़क नं. 7, सेक्टर 2, भिलाई
तहसील व ज़िला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

एम. व्ही. वंशिका
पति-श्री एम. वेंकट रमना
निवासी-क्वा. नं. 4/सी, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिवाकरन एस. पिता स्व. एम. शंकरन, उम्र 52 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी. II-38, आमदी नगर, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री के स्कूली दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों में उसका नाम श्रेया दर्ज है. मैं अपने पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रेया दिवाकरन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को श्रेया दिवाकरन पिता श्री दिवाकरन एस. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रेया पिता-श्री दिवाकरन एस. निवासी-एम.आई.जी. II-38, हुडको, आमदी नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रेया दिवाकरन पिता-श्री दिवाकरन एस. निवासी-एम.आई.जी. II-38, हुडको, आमदी नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिवाकरन एस. पिता स्व. एम. शंकरन, उम्र 52 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी. II-38, आमदी नगर, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री के स्कूली दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों में उसका नाम श्रुधी दर्ज है. मैं अपने पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रुधी दिवाकरन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को श्रुधी दिवाकरन पिता श्री दिवाकरन एस. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रुधी पिता-श्री दिवाकरन एस. निवासी-एम.आई.जी. II-38, हुडको, आमदी नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रुधी दिवाकरन पिता-श्री दिवाकरन एस. निवासी-एम.आई.जी. II-38, हुडको, आमदी नगर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 5 अगस्त 2014

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक 2011/प्र. 2/अ.वि.अ./2014.—यत: कि श्री नंदलाल कारिया आ. श्री मणीलाल जी कारिया, निवासी-दुर्ग ट्रस्टी द्वारा श्री जलाराम मंदिर ट्रस्ट दुर्ग-जलाराम सांस्कृतिक भवन, साक्षरता भवन के सामने दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951

का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 09-09-2014 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	श्री जलाराम मंदिर ट्रस्ट दुर्ग, श्री जलाराम सांस्कृतिक भवन, साक्षरता भवन के सामने दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)
(2)	अचल संपत्ति	:	30,00,000-00 (अक्षरी-तीस लाख रुपये) आर्यनगर दुर्ग में स्थित
(3)	चल संपत्ति	:	1,00,000=00 (अक्षरी-एक लाख नगद)

संजय दीवान
पंजीयक एवं अनुविभागीय
अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वनमंडलाधिकारी, समान्य वनमंडल, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक/144.—वन परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव ने पत्र क्रमांक/760 दिनांक 16-07-2014 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये पासिंग हैमर तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक केरेगांव स्व. श्री सुरेश कुमार ध्रुव, वनपाल को कूप क्रमांक C/XI I.F.W.C. कोर्रा कक्ष क्रमांक 109 में C.B.O. कार्य हेतु जारी किया गया था, जो गुम हो गया है. हैमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा पासिंग हैमर ↑ 161 S R आकृति को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हैमर की कीमत स्टोर स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रुपये 250.00 (दो सौ पचास रुपये मात्र) का खजाना दाखिल कर वनमंडल कार्यालय के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हैंमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना में या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

के. के. बिसेन,
वनमंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.